न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या- 29/2021

लक्ष्मण बैठा वगैरह (विक्रेता)

बनाम्

सरोज कुमारी (क्रेता)

आदेश

प्रस्तुत वाद लक्ष्मण बैठा व लक्ष्मी बैठा दोनो पिता- स्व0 महावीर बैठा, ग्राम- तापाखास, लातेहार, थाना+जिला- लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता सरोज कुमारी, पति- राजू राम, ग्राम- दून्दू, थाना- मनिका, जिला- लातेहार के साथ मौजा- तापाखास, खाता संख्या-6, प्लॉट संख्या- 388, रकबा- 0.06 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। अनुमति के लिए विक्रेता द्वारा आवेदन में बिक्री से संबंधित प्रस्तावित भूमि का जाचं प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, लातेहार से की गयी।

अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक- 540 दिनांक 23.10.2021 से अनुमति से संबंधित भूमि का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसका अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेतागण धोबी एवं क्रेता चमार जाति के सदस्य हैं तथा दोनो एक हीं जिला क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों अनुसूचित जाति दम्पति के उत्पन्न संतान है। आवेदकगण को अपनी पुत्री की विवाह एवं मकान निर्माण के लिए रूपये की सख्त आवश्यकता है, जिसका बन्दोबस्त बिना जमीन बिक्री के हो पाना संभव नहीं है। बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेतागण को खरीदगी से प्राप्त है तथा जमाबन्दी विक्रेता लक्ष्मण बैठा व लक्ष्मी बैठा के नाम से चलता है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा धारित भूमि का रकबा- $2.15^1/_4$ एकड़ है, जिसमें से आवेदक रकबा- 0.06 (शून्य दशमलव शून्य छः) एकड़ भूमि क्रेता सरोज कुमारी के साथ बिक्री करना चाहतें है। अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास रकबा-$2.09^1/_4$ एकड़ भूमि शेष बचता है। आवेदक द्वारा बिक्री हेतु अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि का आम इस्तेहार निर्गत किया गया, जिसके विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति आवेदन नहीं दिया गया है। साथ ही अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा जांच प्रतिवेदन में भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, लातेहार के अनुशंसा के आधार पर बिक्रेता लक्ष्मण बैठा व लक्ष्मी बैठा दोनो पिता- स्व0 महावीर बैठा, ग्राम- तापाखास, लातेहार, थाना+जिला- लातेहार द्वारा मौजा- तापाखास, खाता संख्या-6, प्लॉट संख्या- 388, रकबा- 0.06 एकड़ भूमि का क्रेता सरोज कुमारी, पति- राजू राम, ग्राम- दून्दू, थाना- मनिका, जिला- लातेहार साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त, लातेहार। उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Abu Imran
Date: 2022.02.07 12:16:37 +05:30
Location: 10.93.47.14

Scanned with CamScanner